न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 63/2024
अनवान : –

1. सुमित्रा पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

–**प्रार्थीया**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थीया**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 02/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि मे से 379/13582 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता मोठसरा तहसील भादरा दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीया का सही व वास्तविक पात श्योराणी तहसील नोहर दर्ज है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का पात गलत दर्ज होने से प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपन पता मोठसरा तहसील भादरा के स्थान पर श्योराणी तहसील नोहर दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का पता मुताबिक दस्तावेजात दुरूस्त कर देवे तो अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही पता श्योरानी तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का पता दर्ज हो गया है जिससे विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही पता श्योरानी तहसील नोहर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि मे से 379/13582 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना पता मोठसरा तहसील भादरा के स्थान पर श्योरानी तहसील नोहर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का पता श्योरानी तहसील नोहर अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि मे से 379/13582 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता **मोठसरा तहसील भादरा के स्थान पर श्योरानी तहसील नोहर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के पता मोठसरा तहसील भादरा से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पता मोठसरा तहसील भादरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का पता पता मोठसरा तहसील भादरा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:16 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/17 दिनांक : 07/01/25
तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 63/2024 अनवानी सुमित्रा बनाम
सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 63/2024
अनवान : —

1. सुमित्रा पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

—प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 106/110 की कुल 27.1640 हैक्ट भूमि मे से 379/13582 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता **मोठसरा तहसील भादरा के स्थान पर श्योरानी तहसील नोहर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के पता मोठसरा तहसील भादरा से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का पता मोठसरा तहसील भादरा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का पता पता मोठसरा तहसील भादरा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:16 IST
Reason: SelfAttested